"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2006—आश्विन 15, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 331/वि/नि/चार/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा कोषालय संहिता भाग-1 एवं भाग-2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त संहिता में,—

भाग-1 में नियम 64 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :- -

"64 क बैंक में भुगतान इन्टरनेट द्वारा भी किया जा सकता है. इन्टरनेट से भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-II के परिशिष्ट 24 में अंकित किया गया है.

64 ख इन्टरनेट द्वारा राशि संग्रहण हेतु वित्त विभाग एक या अधिक बैंकों की शाखाओं को नामनिर्दिष्ट करेगा. इन्टरनेट के माध्यम से संग्रहित राशि के प्राप्तियों के सही लेखांकन एवं राजस्व की वापसी हेतु वित्त विभाग कोषालय को नामनिर्दिष्ट करेगा.

2. भाग-II में परिशिष्ट 23 के पँश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परिशिष्ट-24

(सहायक नियम 64, 548)

भाग-I

ई-भुगतान की प्रक्रिया

1. **परिचय :—**

वर्तमान में कोषालय या बैंक में भुगतान नगद या चैक, बैंक पे-आर्डर, बैंक क्रेडिट, चालान और राष्ट्रीय बचत/प्लान सर्टिफिकेट द्वारा किया जाता है. कोई भी व्यक्ति जब शासकीय खातों में राशि डालना चाहता है तो उसे अपेक्षित मात्रा में निर्धारित प्रपत्र और अपेक्षित संख्या में ज्ञापन (अथवा चालान) प्रस्तुत करना होता है. इस कार्य के लिए व्यक्ति को स्वयं या उसके अभिकर्त्ता को बैंक में उपस्थित होना आवश्यक है. ई-भुगतान के प्रकरण में बैंक की किसी शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा.

2. **प्रक्रिया :—**

(1) जमाकर्त्ता को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शासन की नामनिर्दिष्ट वेबसाइट को लॉग ऑन करना होगा. प्राप्तियों के समस्त मदों की सूची, सभी विभागों के कर वसूली प्राधिकारी एवं विस्तृत शीर्षवार सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी. जमाकर्त्ता को विभाग, कर के मदों एवं विशिष्ट कर वसूली प्राधिकारी का चयन करना होगा.

(2) जमाकर्त्ता को व्यक्तिगत ब्यौरा जानकारी जैसे-नाम, पता, ई-मेल का पता, अवधि, क्षेत्र विशिष्ट कर वसूली प्राधिकारी, विभागीय पंजीयन क्रमांक इत्यादि देना होगा.

(3) उपरोक्त समस्त ब्यौरों की प्रविष्टि के पश्चात् जमाकर्त्ता को ई-भुगतान हेतु बैंक का चयन करेगा. जैसे ही बैंक ई-भुगतान द्वारा जमाकर्त्ता के भुगतान को प्राधिकृत करता है बैंक राशि को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संधारित राज्य शासन के खाते में जमा करेगा. उसके बाद जमाकर्त्ता के लिए कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी की जावेगी.

प्रशासकीय विभाग को (ई) प्राप्तियों की जानकारी देना :—

नामनिर्दिष्ट कोषालय अधिकारी द्वारा ई-भुगतान की प्राप्तियों की जानकारी प्रशासकीय विभाग को भेजी जावेगी. यह जानकारी भेजने के पूर्व कोषालय अधिकारी द्वारा बैंक स्क्रॉल से सत्यापित किया जावेगा.

भाग-II

(ई-भुगतान के अधीन प्राप्तियों के लेखांकन की प्रक्रिया)

1. **ई-भुगतान के अधीन प्राप्तियों के लेखांकन की प्रक्रिया**

(1) ई-भुगतान के प्राप्तियों के लिये समयसीमा का निर्धारण राज्य शासन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श से करेगी.

(2) बैंक ई-भुगतान की प्राप्तियों का दैनिक स्क्रॉल तैयार करेगा, हस्ताक्षरित प्रति लेन-देन के दिन ही प्रतिदिन नामनिर्दिष्ट कोषालय अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी.

टीप :—ई भुगतान के अधीन प्राप्तियों का लेखा महालेखाकार को पृथक से भेजा जाना आवश्यक नहीं है. कोषालय इसे नियमित लेखे में समाहित करेगा.

2. **ई-भुगतान के अधीन प्राप्तियों की वापसी :—**

ई-भुगतान के अधीन प्राप्तियों की वापसी के लिये छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-I के सहायक नियम 548 के प्रावधान लागू होंगे."

Raipur, the 6th October 2006

NOTIFICATION

No. 331/वि/नि/चार/2006.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in Chhattisgarh Treasury Code, Volume-I and Volume-II, namely :—

AMENDMENT

In the said code,—

1. In volume-I, after subsidiary rule 64, the following rule shall be inserted, namely :—

"64-A Payment of money into the Bank can also be made through Internet. The detail procedure for payment through Internet is laid down in Appendix-24 of Chhattisgarh Treasury Code Volume-II.

64-B The Finance Department shall designate the branch of one or more Banks for collection through Internet. For proper accounting and refund of revenue of receipts, collected through Internet, the finance Department shall designate the treasury."

2. In volume II, after appendix-23, the following appendix shall be inserted, namely :—

"Appendix-24
(Subsidiary rule 64, 548)

Part-I
The process for making E-payment

1. **Introduction :—**

Currently the payment of money into the treasury or the Bank is made in cash or through cheques, Bank pay order, Bank credit challan and National savings/plan certificates. Any person seeking to make payment at the treasury or Bank, into the government account shall present with it a memorandum (or challan), in prescribed fromat and in required numbers. For this purpose, the personal presence of the depositor himself or his agent is required at the Bank branch. In case of e-payment, the depositor is not required to be personally present in any bank branch.

2. **The Process :—**

(1) The depositor has first to log on to the designated Website of Government of Chhattisgarh. List of all the items of receipt, the detailed head and list of all the departmental tax collecting authorties shall be available on the Website. The depositor has to select the department, items of tax and the specific tax collecting authority.

(2) The depositor shall be required to furnish personal details like name, address, e-mail address, period, area specific tax collecting authority, departmental registration number etc.

(3) After entering the above details, the depositor shall select the Bank for e-payment. As soon as the Bank is authorized to make e-payment by the depositor, the Bank shall credit the amount to State Government's account maintained by Reserve Bank of India. Thereafter computerised receipt to the depositor shall be issued.

3. **The information of (e) receipts to the administrative department :—**

The information regarding receipts of e-payments shall be sent to the administrative department by the designated treasury officer.Before sending, this information shall be verified by treasury officer from Bank scroll.

Part-II

Accounting Procedure for receipts under e-payment

1. **The accounting procedure for receipts for e-payment will be as follows :—**

(1) The time limit for receipts under e-payment shall be decided by the State government in consultation with the Reserve Bank of India.

(2) The Bank shall prepare daily Scroll of receipts, under e-payment. A signed copy shall be forwarded every day to the designated treasury officer, the day following the transaction.

Note :—It is not required to send separate account for receipts under e-payment to Accountant General. The treasury can include this in its regular account.

2. **Refund of receipts under e-payment :—**

For the refund of receipts under e-payment, the provisions of Subsidiary Rule 548 of Chhattisgarh Treasury Code Volume-I shall be applicable."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश पाण्डेय, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.